पोषण अनुश्रवण ईकाई
स्टेट सोसायटी फॉर अल्ट्रा पुअर सोशल वेलफेयर
समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय
समाज कल्याण विभाग
बिहार सरकार

समाहरणालय मधेपुरा

(जिला प्रोग्राम शाखा)

नियुक्ति-पत्र

परियोजना निदेशक, एन0एम0यू0 -सह- निदेशक, आई0सी0 डी0एस0 बिहार, पटना का ज्ञापांक-729 दिनांक-01.07.15 द्वारा उपलब्ध करायी गई सूची तथा सचिव, समाज कल्याण -सह- अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, एस0एस0यू0पी0एस0डब्लू0 बिहार, पटना का पत्रांक- 997 दिनांक- 29.08.15 द्वारा उपलब्ध करायी गई सूची में से बीमार/विवादित/अनुपस्थित अभ्यर्थियों का साक्षात्कार/साईकिल दक्षता जाँच जिलाधिकारी मधेपुरा के निदेशानुसार दिनांक-17.01.16 को 11:00 बजे पूर्वा0 में समाहरणालय परिसर मधेपुरा में जिला चयन समिति के समक्ष की गई। दिनांक-17.01.16 को सम्पन्न जिला चयन समिति की बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में साईकिल दक्षता में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को रिक्त पंचायतों में नीचे अंकित शर्तो के अधीन दिनांक 31.03.2016 तक के लिए उद्दीपिका पद पर नियुक्त किया जाता है।

कमांक	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम एवं पता	गृह प्रखण्ड	पद नाम जिसके लिए चयन किया गया है।	पदस्थापन पंचायत
1	2	3	4	5	6
01	वन्दना कुमारी,	पिता- वासुदेव पंडित, ग्रा0- बैतोना, पो0- गोढ़ेला, प्रखण्ड+जिला- मधेपुरा।	मधेपुरा	उद्दीपिका	सकरपुरा-बैतोना
02	सीमा कुमारी,	पति- राजेश गुप्ता, गम्हरिया वार्ड न0-11, पो0+थाना- गम्हरिया,जिला- मधेपुरा	गम्हरिया	उद्दीपिका	गम्हरिया
03	ललिता कुमारी,	पति- मुकेश यादव, ग्रा0+पो0- चित्ती बाजार, थाना- घैलाढ़, जिला- मधेपुरा।	घैलाढ़	उद्दीपिका	चित्ती
04	यासमीन प्रवीण,	पिता- मो0जुम्मन, पति- शमशेर आलम, ग्रा0- विशनपुर बाजार, थाना- कुमारखण्ड, जिला- मधेपुरा।	कुमारखण्ड	उद्दीपिका	विशनपुर बाजार
05	श्वेता चन्द्रवंशी,	पिता- अमरेन्द्र सिंह चन्द्रवंशी, ग्रा0- गंगापुर भरसो टोला, पो0- गंगापुर सोनामुखी, थाना- किशनपुर रतवारा, प्रखण्ड- आलमनगर, जिला- मधेपुरा	आलमनगर	उद्दीपिका	गंगापुर
06	रीना कुमारी रानी,	पति- प्रभाष कुमार, ग्रा0- बीड़ी-रणपाल, थाना- उदाकिशुनगंज, जिला- मधेपुरा।	उदाकिशुनगंज	उद्दीपिका	बीड़ी-रणपाल

उपर्युक्त नियोजन निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगा:-

1. उद्दीपिका को निश्चित मानदेय 5000/- (पाँच हजार रू0) की दर से योगदान की तिथि से देय होगा।

2. योगदान की तिथि से एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियोजन किया जायेगा। यह नियोजन संविदा समाप्ति अवधि के एक माह की पूर्व सूचना देकर समाप्त किया जा सकता है।
3. कार्य अवधि– कार्यालय अवधि
4. नियोजन से पूर्व एकरारनामा प्रस्तुत करनी होगी।
5. अपने कर्त्तव्यों के संतोषप्रद निर्वाहन नहीं किये जाने, अनियमितता बरते जाने, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं अपराधिक घटना में शामिल होने की स्थिति में आपको अनुबंध मुक्त करने की कार्रवाई की जायेगी और वित्तीय अनियमितता/गबन किये जाने पर Prevention of Corruption Act IPC एवं सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
6. सिविल सर्जन द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण–पत्र नियोजन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र के विश्वसनीयता की जाँच संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराई जायेगी। प्रमाण–पत्र जाली/गलत पाये जाने की स्थिति में आपका चयन निरस्त करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
8. चयनित अभ्यर्थी एक सप्ताह के अन्दर जिला प्रोग्राम पादाधिकारी, मधेपुरा के कार्यालय में योगदान करना सुनिश्चित करें अन्यथा आपका नियोजन स्वतः समाप्त समझा जायेगा।
9. संविदा नियोजित कर्मियों द्वारा दाखिल शैक्षिणिक प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, आवास प्रमाण–पत्र, एवं आयु संबंधी प्रमाण–पत्र जाँच में गलत पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा।
10. आपत्ति प्राप्त होने पर, आपत्ति की जाँच करायी जाएगी। आपत्ति सही साबित होने पर आपका चयन रद्द कर दिया जाएगा।

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी
–सह–
उप परियोजना निदेशक
का नाम एवं हस्ताक्षर (मुहर के साथ)

ज्ञापांक 138 /प्रो0 मधेपुरा, दिनांक 01.02./2016

प्रतिलिपिः– संबंधित सभी चयनित अभ्यर्थी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– संबंधित सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सिविल सर्जन, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– परियोजना निदेशक –सह– निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

01.02.16

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी
–सह–
उप परियोजना निदेशक
का नाम एवं हस्ताक्षर (मुहर के साथ)

c:\users\dpomadhepura\desktop\uddpika 3rd fage.docx